में भंडारों के क्षेत्रीय अन्वेषण में कार्यरत हैं, ने मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों में कोयले के भंडार निम्नलिखित स्थानों पर होने के संबंध में सूचना दी है—जोहिला, डमरिया, पेंच, कान्हन–तावा–घाटी, पाथरखेड़ा, गुरूगुडा, मोहापानी, सोहागपुर, सिंगरौली, सोनहट, झिल-मिली, चिरमिरी, विश्रामपुर, लखनपुर। हसदेव–अरोड़, सेन्दुरगढ़, कोरबा, मंड-रायगढ़ तथा तातापानी, रामकौला।

अभी तक मध्य प्रदेश में लिग्नाइट के भंडार होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश में कोयले के कुल भंडार 40280.86 मि. टन होने का अनुमान लगाया है।

कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

6257. **श्री जनार्दन यादव :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने आरोप लंबित हैं ; और

(ख) सरकार इन लंबित आरोपों की जांच करा कर इन्हें कब तक निपटाने का विचार रखती है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) कोल इंडिया लि0 के अध्यक्ष के विरूद्ध भ्रष्टा-चार संबंधी कोई आरोप लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

Revision of royalty

6258. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government have received any representations from the State Government of Bihar for the revision of royalty on coal during the last three years;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government have decided to raise the royalty on coal as per the request made by that State; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) and (b) Yes, Sir. Government of Bihar have represented for increase in the rates of royalty on coal and its fixation on advalorem basis at 45-55 per cent of price of coal.

(c) and (d) In terms of Section 9(3) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 the revesion in the rates of royalty on coal can be made only on or after August, 1994. A Study Group has already been set up to consider the matter indepth and make suitable recommendations to the Government.

Royalty to coal production States

6259. SHRIMATI KAMLA SINHA:

DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of COAL be pleased to refer to the answer to Unstarred Questions 4273, 4321 and 4327 given in the Rajya Sabha on 25th April, 1994 and state:

(a) whether with the rise in the coal prices, Government propose to pay royalty to the coal producing States at ad-valorem prices; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) and (b) The current rates of royalty on coal are specific and not advalorem. As such the rates of royalty do not change with change in coal prices. Since the rates of royalty were last revised on 01.08.

1991. the next revision can be effected only on or after 01.08.1994. Government have constituted a Study Group to consider the case for revision in rates of royalty. The concerned of Governments have already placed their points of view before the said Study Group.

कोल इंडिया लि० द्वारा परियोजनाओं का विकास किये जाने हेतु स्वीकृति

6260. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमिगत खानों से संबंधित 167 परियोजनाओं के विकास हेतु कोल इंडिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों को स्वीकृति प्रदान की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो यह स्वीकृति कब दी गई थी और इन परियोजनाओं के विकास हेतु अनुमानत: कितनी धनराशि अपेक्षित थी और क्या यह धनराशि भी आवंटित की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन परियोजनाओं का विकास कार्य मार्च, 1994 तक भी आरम्भ नहीं हुआ था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसी परियोजनाओं की संख्या अलग-अलग कितनी-कितनी है जिनमें उत्पादन शुरू हो गया है, जो निर्माणाधीन हैं और जिनमें विकास कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है और सभी परियोजनाओं में किस तारीख तक उत्पादन आरम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) 2 करोड़ रु० अथवा इससे अधिक लागत की 166 भूमिगत परियोजनायें राष्ट्रीयकरण के बाद तथा 31-3-1994 तक कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कम्पनियों में 3631.89 करोड़ रु० के कुल स्वीकृत पूंजीगत परिव्यय सहित कार्यान्वयन के लिये अनुमोदित हुई है।

इन परियोजनाओं पर निधियों का नियतन कार्यान्वयन की स्थिति तथा संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुये वार्षिक योजना प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। दिसम्बर, 1993 तक इन परियोजनाओं पर संचयी व्यय 2286.10 करोड़ रु० की राशि का था।

(घ) और (ङ) इन सभी परियोजनाओं में विकास कार्य आरम्भ कर दिया गया है। 140 परियोजनाओं में कोयला उत्पादन पहले ही आरम्भ हो गया है। शेष 26 परियोजनाओं में से 16 में आठवीं योजनावधि की शेष अवधि में कोयले का उत्पादन होने की संभावना है तथा 10 में 9वीं योजना अवधि के दौरान उत्पादन होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी

6261. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में कोयले की भारी कमी ; है

(ख) यदि हां, तो इस राज्य को कोयले की कितनी मात्रा आवंटित की गई है और राज्य के आदिवासी क्षेत्रों को इसका कितने प्रतिशत कोयला आवंटित किया गया है ; और